बिहार सरकार
बिहार रूरल डेवलपमेंट सोसाईटी
(ग्रामीण विकास विभाग)

प्रेषक, **दिनांक-:-07/05/2022**

सी0 पी0 खण्डूजा,
आयुक्त मनरेगा।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक,
उप विकास आयुक्त-सह-अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक,
भोजपुर, बिहार।

विषय:- **भोजपुर जिले के जगदीशपुर प्रखण्ड अंतर्गत हरदिया पंचायत में मनरेगा योजना से वर्ष 2014 का लंबित मजदूरी भुगतान के संबंध में।**

प्रसंग :- **श्री राम विशुन सिंह, मा0 स 0 वि0 स 0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं0- 5305**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंग के संबंध में कहना है की आपके जिले अंतर्गत जगदीशपुर प्रखण्ड के हरदिया पंचायत में महात्मा गांधी नरेगा से वर्ष 2014 में कार्यान्वित कार्य से संबंधित मजदूरों के मजदूरी का भुगतान अभी तक लंबित है। प्रश्नगत मामले में ग्राम पंचायत हरदिया से मजदूरी भुगतान हेतु चेक निर्गत किए गए तथा निर्गत चेकों से संबंधित राशि बैंक से हस्तांतरित होने के बाद भी संबंधित मजदूरों का भुगतान डाकघर द्वारा नहीं किया गया है। ज्ञातव्य है की प्रश्नगत मामलों को श्री राम विशुन सिंह, मा0 स 0 वि0 स 0 द्वारा तारांकित प्रश्न सं0- 5305 द्वारा विधान सभा में उठाया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा मजदूरी भुगतान से संबंधित राशि का चेक डाकघर को उपलब्ध कराए जाने तथा संबंधित राशि बैंक से हस्तांतरित होने के बाद भी मजदूरों का भुगतान नहीं किया जाना स्पष्टत: डाकघर के स्तर पर संबंधित पदाधिकारियों/कर्मियों की लापरवाही तथा उदासीनता को परिलक्षित करता है। साथ ही मजदूरी भुगतान लंबित रहने की स्थिति में ग्राम पंचायत, प्रखण्ड और जिला स्तर पर महात्मा गांधी नरेगा के क्रियान्वयन से जुड़े पदाधिकारियों द्वारा भी मजदूरी भुगतान सुनिश्चित कराये जाने का अनुश्रवण नहीं किया जाना स्पष्टतः उनके द्वारा अपने दायित्वों के निर्वहन के प्रति बरती गयी लापरवाही को दर्शाता है। प्रश्नगत मामले को तारांकित प्रश्न के माध्यम से विधान सभा में उठाए जाने के पश्चात मजदूरी भुगतान के संबंध में जिला स्तर तथा डाकपाल, आरा के स्तर से कार्रवाई करते हुए 1,17,936/- रुपये के भुगतान के संबंध में आदेश निर्गत किया जाना इस बात को प्रमाणित करता है, की यदि जिला स्तर पर उक्त मामले का प्रभावी अनुश्रवण पूर्व में ही किया गया होता, तो यह मामला पूर्व में ही निष्पादित हो गया होता। माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास द्वारा उक्त मामले में राशि उपलब्ध कराने के बाद भी 08 वर्षों तक मजदूरी भुगतान सुनिश्चित नहीं किए जाने पर खेद व्यक्त किया गया है तथा दोषी पदाधिकारियों/कर्मियों को चिन्हित कर उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया हैं।

अतः प्रश्नगत मामले की सम्यक समीक्षा करते हुए निम्नांकित बिन्दुओं पर कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए प्रतिवेदित किया जाय :-

1. मजदूरी भुगतान लंबित रहने के लिये दोषी पदाधिकारी/कर्मी को चिन्हित कर उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त करते हुए उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए।
2. साथ ही इस बिन्दु पर भी विश्लेषण किया जाए की क्या मजदूरी भुगतान लंबित रहने की स्थिति में संबंधित मजदूरों द्वारा अपनी शिकायत पंचायत, प्रखण्ड या जिला स्तर पर की गई थी यदि मामले की शिकायत की गई थी, तो उक्त शिकायत पर क्या कार्रवाई की गई।
3. डाकघर के साथ समीक्षा करते हुए लंबित भुगतान सम्बंधित मजदूरों को कराया जाना सुनिश्चित किया जाय तथा मजदूरी भुगतान सुनिश्चित किये जाने के पश्चात इस सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी को प्रतिवेदित किया जाय।

4. इसके अतिरिक्त अपने जिले अंतर्गत सभी प्रखंडों में यह समीक्षा कर सुनिश्चित कर लिया जाय कि मजदूरी भुगतान के सम्बन्ध में इस तरह के मामले किसी और प्रखंड में लंबित नहीं रहे।
5. साथ ही वर्ष 2013-14 से 2021-22 तक की अवधि के कुल 2440 Rejected Transactions regeneration के लिए लंबित हैं। लंबित transactions का regeneration सुनिश्चित किया जाय ताकि उक्त में लंबित मजदूरी का भुगतान भी सुनिश्चित किया जा सके।

अतः अनुरोध हैं कि संदर्भित मामले का सतत अनुश्रवण जिला स्तर से करते हुए उपयुक्त वर्णित निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

अनुलग्नक: **यथोक्त।**

विश्वासभाजन,

Signed by C P Khanduja
Date: 07-05-2022 00:22:07
Reason: Approved

(सी0 पी0 खण्डूजा)
आयुक्त मनरेगा।

प्रतिलिपि: प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि: मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

अति महत्वपूर्ण

बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 826187 पटना, दिनांक 21/03/2022

ग्रा.वि.-8(वि0स0)- 23/2022

प्रेषक,

सदय कुमार सिन्हा,
अवर सचिव ।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी / उप विकास आयुक्त,
भोजपुर (आरा) ।
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
बी0आर0डी0एस0, पटना ।

विषय:- **श्री राम बिशुन सिंह, मा0 स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं0- 5305 का उत्तर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में ।**

प्रसंग:- विभागीय पत्रांक 824385 दिनांक 17.03.2022

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषयक प्रसांगिक पत्र द्वारा श्री राम बिशुन सिंह, मा0 स0वि0स0 द्वारा वर्तमान सत्र में दिनांक 30.03.2022 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0- 5305 की प्रति संलग्न करते हुए उत्तर प्रतिवेदन एवं संभावित पूरक/अनुपूरक सामग्री शीघ्र उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था, जो सम्प्रति अप्राप्त है ।

अतएव पुन: अनुरोध है कि वांछित उत्तर सामग्री यथाशीघ्र विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाए ताकि बिहार विधान सभा सचिवालय को ससमय भेजा जा सके ।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए ।

अनु0- यथोक्त ।

विश्वासभाजन

21.03.22

(सदय कुमार सिन्हा)
अवर सचिव

श्री राम विशुन सिंह, मा0 स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं0- 5305 (सामु0-93) की उत्तर सामग्री

प्रश्नकर्त्ता		उत्तरदाता	
श्री राम विशुन सिंह, माननीय स0वि0स0		**श्री श्रवण कुमार, मंत्री,** ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना	
1.	क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिलान्तर्गत जगदीशपुर प्रखंड के हरदियॉ पंचायत में मनरेगा योजना से वर्ष 2014 में किये गये कार्य में मजदूरों के मजदूरी का भुगतान बभनियॉव उप-डाकघर द्वारा अभी तक नहीं किया गया;	1.	**उत्तर स्वीकारात्मक है ।**
2.	क्या यह बात सही है कि बभनियॉव उप-डाकघर को चेक सं0- 634686 दिनांक 19.08.2014, 634690 दिनांक 20.08.2014 एवं 634699 दिनांक 15.09.2014 को भुगतान करने के बावजूद भी प्रधान उप-डाकघर आरा द्वारा उप-डाकघर बभनियॉव को पार्ट-2 बनाकर नहीं दिया गया, जिससे मजदूरों का भुगतान आज तक नहीं हो सका है;	2.	**उत्तर स्वीकारात्मक है ।** वस्तुस्थिति यह है कि बभनियॉव उप-डाकघर को चेक सं0- 634686 (101898 एक लाख एक हजार आठ सौ अंठानवे), 634690 (42606 ब्यालीस हजार छ: सौ छ:), एवं 634699 (117936 एक लाख सतरह हजार नौ सौ छत्तीस) को मनरेगा (पंचायत रोजगार सेवक एवं मुखिया) के द्वारा निर्गत किया गया था तथा राशि भी बैंक से हस्तांतरित हो गयी, परन्तु मुख्य डाकघर से उप-डाकघर बभनियॉव को राशि नहीं मिलने के कारण भुगतान नहीं हो पाया । मनरेगा से भुगतान की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है । डाकपाल, आरा के साथ बैठक की गयी एवं समस्या का निदान करने हेतु अनुरोध किया गया । डाकपाल, प्रधान डाकघर, आरा द्वारा पत्रांक टी0आर0-111/मनरेगा चेक क्लीयरेंस / 2021-22, दिनांक 26.03.2022 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा उप डाकपाल, जगदीशपुर को 117936 (एक लाख सतरह हजार नौ सौ छत्तीस) रूपया मनरेगा लाभुकों के खाते में नियमानुसार भुगतान करने हेतु निदेशित किया गया है । साथ ही यह भी अंकित किया गया है कि अन्य दो चेक का क्रेडिट सर्टिफिकेट बैंक से प्राप्त होने के उपरांत भुगतान आदेश निर्गत कर दिया जाएगा ।

[illegible]	यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार कब तक उक्त मनरेगा कार्य के मजदूरों का पारिश्रमिक भुगतान कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?	उपर्युक्त खंडों में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है ।

ज्ञापांक 842837 पटना, दिनांक 30/03/2022

ग्रा.वि. 7(वि0स0)- 23/2022

प्रतिलिपि:- प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा सचिवालय के ज्ञापांक- 1573 दिनांक- 22.03.2022 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित ।

30.3.22

(सदय कुमार सिन्हा)

अवर सचिव

ज्ञापांक 842837 पटना, दिनांक 30/03/2022

ग्रा.वि. 7(वि0स0)- 23/2022

प्रतिलिपि:- विभागीय मंत्री के आप्त सचिव / संसदीय कार्य विभाग बिहार, पटना / विधान मंडलीय कोषांग, प्रशाखा-11 / आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

30.03.22

अवर सचिव